<u>प्रकरण दिनांक 09.05.2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ</u>

<u>क्रं0–04 में प्रस्तुत</u>

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त आदेशानुसार स्वंय के मुचलके पर मुक्त होने से खण्डपीठ के समक्ष अनुपस्थित।

प्रकरण प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार हेतु नेशनल लोकअदालत के अंतर्गत गठित खण्डपीठ क्रमांक–04 के समक्ष पेश हुआ।

संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया।

अवलोकन उपरांत यहां यह अवधारित किया जाना आवश्यक है कि क्या इस प्रक्रम पर परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदनपत्र संधारणीय है अथवा नहीं ? आवेदनपत्र से सुसंगत धारा 200 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अवलोकन से यह दृष्टिगत है कि अभियोजन के संस्थान उपरांत भी सक्षम अधिकारी द्वारा शमन किया जाना अनुज्ञेय है। धारा 200 मोटरयान अधिनियम, 1988 में वर्णित अपराध के संबंध में अभियुक्त द्वारा सक्षम सरकार द्वारा विहित शमन शुल्क सक्षम प्राधिकारी को संदाय पश्चात् मामले के संस्थापन के पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी प्रक्रम पर शमन किया जाना अनुमत है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **<u>परमजीत भसीन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 2005(12) एस0सी0सी0 642</u>** में भी समान प्रकृति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक F.No. 20/1567/SLSA/NLA/2021 Jabalpur, Dated 05-07-2021 में यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि हस्तगत प्रकरण का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाना अनुज्ञेय है।

अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त पर आक्षिप्त अपराध के संबंध में शमन किये जाने पर भी सक्षम सरकार द्वारा सामुदायिक सेवा इत्यादि संबंधी शर्त अधिरोपित करने के संदर्भ में अधिसूचित नहीं किया है। परिवादी/आवेदक शमन करने हेतु समक्ष प्राधिकारी है और शमन शुल्क राशि 500/–रूपये अदा की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार धारा 200(2) मोटरयान अधिनियम के आलोक में परिवादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत हस्तगत

आवेदनपत्र स्वीकृत कर अभियुक्त को धारा 51/177 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अपराध से उन्मोचित/दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मुचलका भारमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के आधिपत्य से अभिग्रहित वाहन एवं वाहन के मूल दस्तावेज पंजीकृत स्वामी/ भारसाधक व्यक्ति/अभियुक्त को वापस किये जावे।

हस्तगत आदेश को सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में लेखबद्ध कर सम्पूर्ण संपूर्ति उपरांत नियत अवधि में अभिलेखागार में प्रेषित किया जावे।

(तोसीफ अल्ताफ कुरैशी)
अधिवक्ता
नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ क0–04
श्योपुर म.प्र.

(सुधाकर शर्मा)
सामाजिक कार्यकर्ता
नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ क0–04
श्योपुर म.प्र.

(अमोघ अग्रवाल)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ क0–04
श्योपुर म0प्र0